



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 469 राँची, शुक्रवार,
28 आषाढ़, 1946 (श०)
19 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना
2 मई, 2024

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 कां-3058--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री राजकुमार मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, CBI, धनबाद को अगले आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, Anti Corruption Bureau, डाल्टेनगंज के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 कां-3059--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री लक्ष्मण प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायालय, निर्वाचित MP/MLA, दुमका को अगले आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, Anti Corruption Bureau, चाईबासा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3060--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री प्रकाश झा, अपर न्यायायुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश, Anti Corruption Bureau, राँची को अगले आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, Anti Corruption Bureau, दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3061--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री योगेश कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो को अगले आदेश तक अपर न्यायायुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश, Anti Corruption Bureau, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3062--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री रमेश कुमार, अध्यक्ष, अपीलीय न्यायाधिकरण, RRDA, राँची को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, जमशेदपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किये जाने हेतु उनकी सेवा श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3063--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री राकेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ को अगले आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, CBI, धनबाद के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3064--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री प्रेम नाथ पाण्डेय, विशेष न्यायाधीश, POCSO Act, डाल्टेनगंज को अगले आदेश तक अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, बोकारो (बेरमो/तेनुघाट) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3065--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री संजीव कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गढ़वा को अगले आदेश तक अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, साहेबगंज (राजमहल) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3066--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री अमित कुमार, विशेष न्यायाधीश, POCSO Act, लातेहार को अगले आदेश तक अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3067--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री रंजीत कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा को अगले आदेश तक विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करते हुए उन्हें अध्यक्ष, अपीलीय न्यायाधिकरण, RRDA, राँची का अतिरिक्त प्रभार एवं उक्त की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3068--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री बिरेन्द्र कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोडरमा को अगले आदेश तक वरीय विधि सलाहकार-सह-अपर सचिव, झारखण्ड, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किये जाने हेतु उनकी सेवा ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है ।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3069--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में श्री राजीव रंजन, विशेष न्यायाधीश, POCSO Act, बोकारो को अगले आदेश तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-14(I) के अंतर्गत दर्ज मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय के लिए विशेष न्यायाधीश देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-08/वरीय स्थापना-01/2024 का-3070--झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की अनुशंसा के आलोक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पाकुड़, गुमला एवं सरायकेला-खरसावाँ की शक्तियाँ क्रमशः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाकुड़, गुमला एवं सरायकेला-खरसावाँ को सौंपी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव ।
